राजस्व प्रार्थना पत्र 17/2023
जीसीएमएसम नंबर 2023/164
गौरा देवी बनाम सरकार

71/2017 निर्णय दिनांक 22.05.2017 की पालना में नामान्तकरण संख्या 970 के द्वारा अमल दरामद किया गया था। वर्तमान में खसरा नंबर 1022/733 के पास से कोई भी कटाणी मार्ग का रास्ता नहीं चलता है। धारा 131–132 के तहत कटाणी रास्ते का प्रस्ताव तैयार करते समय खसरा नंबर 1022/733 जो कदिमी रास्ता के चिपता नहीं होने के बावजूद सहवंन से खसरा नबर 1022/733 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से वर्तमान खसरा नंबर 1158/1022 रकबा 0.1214 हैक्टेयर रास्ते हेतु काट कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका हैं। अतः उक्त खसरा नंबर 1158/1022 रकबा 0.1214 हैक्टैयर गैर मुमकिन रास्ते को पुनः प्रार्थी के मूल खसरा नंबर 1022/733 में गैर मुमकिन रास्ते की किस्म को बारानी प्रथम करते हुवे प्रार्थीया की खातेदारी में पुनः शामिल किया जावे। जिस कारण प्रार्थीया की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम रोटू के खाता संख्या 82 में सहवन से दर्ज खसरा नंबर 1158/1022 रकबा 0.1214 को पुनः प्रार्थी के मूल खसरा नंबर 1022/733 में मर्ज किया जाकर दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि मौजा रोटू के खाता संख्या 82 में पूर्व में सहवन से दर्ज गलत तरमीम खसरा नंबर 1158/1022 रकबा 0.1214 हैक्टेयर को निरस्त किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम रोटू के खाता संख्या 82 में सहवन से दर्ज खसरा नंबर 1158/1022 रकबा 0.1214 को पुनः प्रार्थी के मूल खसरा नंबर 1022/733 में मर्ज किया जाकर नक्शे लट्ठे में दुरूस्त किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोट–

1. तहसीलदार जायल की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
2. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेंगें(रहन होने की स्थिति में)। सबंधित बैंक सूचित हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner